

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सुखचैनसिंह बनाम नागरसिंह वगैरा
निगरानी पंचायत प्रकरण सं० ३५/2014

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
09-06-14	निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील निगरानीकर्ता रिपोर्ट के बिन्दू सं० 6 की पूर्ति करें। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11-06-14 को पेश हो।	
11.06.14	नि.कर्ता के Adv. उपस्थित। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके पास सुझवट आवंटन की प्रती उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना को जल्द जोटिस लवण करें। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 4.07.14 को पेश हो।	प.इ. 1274 11.06.14
04.07.14	बार संघ के प्रस्तावानुसार Adv. द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित किया हुआ है। नि.कर्ता के अधिवक्ता ने Form No. 03 के साथ 4.7.14 का पत्र पेश किया। ब्या 0 सिमल हो। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.14 को पेश हो।	
16.7.14	<p>पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमाण पर कार्य स्थगित है। कार्य स्थगन के अधिवक्ता के स्थिति है। पत्रावली दिनांक 18.8.14 को पेश हो।</p>	
13.08.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी X है। पत्रावली दिनांक 10.09.14 को पेश हो।	
10.09.14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी X है। पत्रावली दिनांक 28.10.14 को पेश हो।	

11.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (पत्रा०)
श्रीगंगानगर